भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

15.03.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2514 का उत्तर

अमृतसर रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाना

2514. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमृतसर रेलवे स्टेशन उत्तर भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनर्विकास योजना के अंतर्गत इस स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पुनर्विकास कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

अमृतसर रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाने के संबंध में दिनांक 15.03.2023 को लोकसभा में श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2514 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): जी हां।

(ख): रेल मंत्रालय ने में भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन' योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घावधि दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर स्टेशनों में एक्सेस में सुधार, परिसंचारी क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यक स्वच्छता वाले लिफ्ट/एस्केलेटर, मुफ्त वाईफाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, भूनिर्माण आदि जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए चरणबद्ध तरीके से मास्टर प्लान तैयार करना और उनका कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में भवन में सुधार, स्टेशन को शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकृत करने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था, चरणबद्ध और व्यवहार्यता आवश्यकता के अनुसार 'रूफ प्लाजा' और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत अमृतसर रेलवे स्टेशन को विकासित करने के लिए चयन किया गया है।

(ग): रेलवे स्टेशनो का विकास/पुनःविकास एक जटिल प्रकृति की है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियो की संरक्षा शामिल है और शहरी/स्थानीय निकायों आदि से विभिन्न सांविधिक क्लीरियेंस अपेक्षित है और ये कारक पूरा होने में लगने वाले समय को प्रभावित करते हैं। अतः किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****